Crashfree India

दुर्घटना के बाद मुआवज़ा: आपका कानूनी अधिकार

अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ है या किसी की मौत हो गई है, तो आपको मुआवज़ा (Compensation) मिलना आपका कानूनी हक़ है।

ये तब भी लागू होता है, अगर:

गाड़ी का ड्राइवर भाग गया हो

सामने वाली गाड़ी का बीमा न हो

आप पैदल , साइकिल चालक या यात्री हों

आपको नहीं पता गलती किसकी थी

आप किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते

आपको किस बात का मुआवज़ा मिल सकता है?

इलाज और अस्पताल का खर्च

सहायक उपकरण (जैसे व्हीलचेयर,बैसाखी आदि)

इलाज के दौरान हुआ आर्थिक नुकसान

अस्थायी या स्थायी चोट

हिट एंड रन में

यदि दुर्घटना में मृत्यु हुई हो

परिवार को आर्थिक सहायता

अंतिम संस्कार का खर्च

भविष्य की कमाई का नुकसान

भावनात्मक व पारिवारिक नुकसान

और भी कई तरह की मदद मिल सकती है। आपको अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है।

मुआवज़ा कैसे पाएं?

1. अपने नज़दीक पुलिस थाने में FIR दर्ज कराएं।
2. नज़दीक DLSA या लीगल एड क्लिनिक से निःशुल्क कानूनी सहायता लें।
3. क्लेम प्रक्रिया के लिए ज़रूरी सभी दस्तावेज़ इकट्ठा करें।
4. अपने ज़िले के MACT में क्लेम दर्ज करें।

NALSA Helpline: 15100
(National Legal Services Authority)

दस्तावेज़ जो आवश्यक हैं

आधार कॉपी

FIR कॉपी

मेडिकल बिल

बैंक पासबुक

दिव्यांगता प्रमाणपत्र (अगर हो)

आप या आपके परिवार का सदस्य / कानूनी प्रतिनिधि Motor Accident Claims Tribunal (MACT) में क्लेम कर सकते हैं

District Legal Services Authority (DLSA) आपकी पूरी मदद करेगी।

मदद कहाँ मिलेगी?

helpdesk@crashfreeindia.org

WhatsApp: +91 7838059367

Crashfree India

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नि:शुल्क (कैशलेस) उपचार योजना, 2025

क्या आप जानते हैं?

सड़क दुर्घटना में चोट लगने पर आपको फ्री कैशलेस इलाज मिलना आपका हक़ है!

₹1.5 लाख, 7 दिनों तक
बिना पैसे दिए निर्धारित अस्पतालों में इलाज।

नागरिक किसी सड़क दुर्घटना के पीड़ित की बिना डर के मदद करें - कोई कानूनी बाधा नहीं।

दुर्घटना होने के **24 घंटे** के भीतर **निर्धारित अस्पताल** पहुँचना आवश्यक।

तुरंत क्या करें?

दुर्घटना के तुरंत बाद, घायल व्यक्ति, उनके परिजन या कोई नागरिक:

112 डायल करें

- निर्धारित अस्पताल का पता पूछने के लिए
- सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए
- एम्बुलेंस बुलाने के लिए

महत्वपूर्ण जानकारी:

- अगर घायल व्यक्ति सरकार द्वारा तय की गई सूची में न आने वाले अस्पताल पहुँच जाए, उन्हें तत्काल उपचार मिलना चाहिए। लेकिन उपचार मिले इसकी गारंटी अस्पताल नहीं देता।
- मदद करने वाले नागरिक को नाम/नंबर देना अनिवार्य नहीं हैं।
- पुलिस रिपोर्ट ज़रूर दर्ज करवाएँ - 24 घंटे में पुष्टि न हो/फेल हो तो योजना लागू नहीं होगी और आपको खुद पूरा बिल भरना पड़ सकता है!

आपके अधिकार

कैसे और क्या करें ?

निःशुल्क इलाज आपका कानूनी अधिकार है!
निर्धारित अस्पताल मना करे तो...

District Grievance Officer को डायल करें (जिला कलेक्टर से नंबर लें)

इलाज/अस्पताल से कोई अन्य समस्या हो तो...

14555 (NHA की हेल्पलाइन नंबर) डायल करें

मदद कहाँ मिलेगी?

helpdesk@crashfreeindia.org

WhatsApp: +91 7838059367